पत्र संख्या–वि0व0संग्रह/पदोन्नति संग्रह अमीन (2017–18) 603 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(संग्रह अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 12 अक्टूबर, 2017

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग–ए,
लखनऊ, गाजियाबाद।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर संग्रह अमीन सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली 2015 दिनांक 03 फरवरी 2016 में की गई व्यवस्थानुसार विभागीय वसूली योजना से सम्बन्धित 20 जनपदों में से कार्यरत संग्रह सेवकों में संग्रह अमीन के पद पर पदोन्नत कार्मिकों के सम्बन्ध में मुख्यालय पर गठित चयन समिति द्वारा विचारोपरान्त पात्र संग्रह सेवकों में कुल 14 संग्रह सेवकों का संग्रह अमीन के पद पर पदोन्नति हेतु चयन किया गया है जिसका अनुमोदन कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा कर दिया गया है।

प्रवृत्त नियमावली के अनुसार संग्रह अमीन के नियुक्त प्राधिकारी आप हैं। अस्तु जनपदवार कार्यरत संग्रह सेवकों जिनका चयन संग्रह अमीन के पद पर पदोन्नति हेतु किया गया है, का विवरण आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आप अपने स्तर से नियमानुसार पदोन्नति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें व उन्हें वर्तमान तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराकर उसकी सूचना तत्काल मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत संग्रह अमीनों की तैनाती का आदेश मुख्यालय स्तर से निर्गत किया जा सके। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 20.10.2017 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। अतः इस कार्य में किसी भी प्रकार का विलम्ब वांछनीय नहीं है।

क्रमांक	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान
1	2	3	4	5
1	161	श्री ओमवीर सिंह	श्री मोतेहड़	गाजियाबाद
2	234	श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव	श्री सत्यनारायण श्रीवास्तव	लखनऊ
3	237	श्री राजनारायण शुक्ला	श्री काशी प्रसाद	लखनऊ
4	254	श्री अवधेश कुमार	श्री कल्लू	लखनऊ

2. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त पदोन्नति कार्मिकों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही संग्रह अमीन के पद पर कार्यभार ग्रहण करायें तथा यदि कोई कार्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो तो उससे उक्त आशय का 'फोरगो' पत्र प्राप्त करके दिनांक 20.10.2017 तक अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नति कार्मिकों के विरूद्ध यदि अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित हो अथवा आरोप पत्र निर्गत हो या सतर्कता जांच/ई0ओ0डब्ल्यू आदि गम्भीर प्रकृति की जांच चल रही हो तो ऐसे कार्मिकों पर उक्त पदोन्नति आदेश क्रियान्वित न किया जाय, बल्कि ऐसे कार्मिकों की पदोन्नति निरस्त कराने हेतु वांछित सूचनाएं अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध करायें।

ह0/

(आन्जनेय कुमार सिंह)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक–उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2. जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर, लखनऊ, गाजियाबाद।
3. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. अधिष्ठान पटल संग्रह अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

12/10/17
(देव मणि शर्मा)
डिप्टी कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ